Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उपखण्ड अधिकारी, (आर.ए.एस.) उपखण्ड कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण दर्ज कर की जा रही है, कार्यवाही**

जयपुर, *07 मई, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर–द्वितीय एवं अलवर–द्वितीय इकाई द्वारा आज कोटकासिम में कार्यवाही करते हुये **आरोपी रामकिशोर मीणा आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा** के विरूद्ध दलाल **ज्ञानीराम बाबा, राजाराम एवं विक्रम सिंह (तीनों प्राईवेट व्यक्ति)** के माध्यम से **12 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया जाकर, अनुसंधान एवं कार्यवाही की जा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि रेवेन्यू वाद में फैसला पक्ष में करने की एवज में **आरोपी रामकिशोर मीणा आर.ए.एस., तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा** द्वारा अपने दलाल **ज्ञानीराम बाबा, राजाराम एवं विक्रम सिंह (तीनों प्राईवेट व्यक्ति)** के माध्यम से **12 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि की मांग की गई है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन से मामला सही पाया जाने पर प्रथमदृष्टया रिश्वत मांग स्पष्ट पाया जाने पर मामले में आरोपियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल ए.सी.बी. इकाई अलवर–द्वितीय** को नियुक्त किया गया।

आज एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में आज **अनुसंधान अधिकारी** द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम पर अनुसंधान कार्यवाही की गई। कार्यवाही में आरोपियों के विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**